एक नजर

इंश्योरेंस पॉलिसी-प्रीमियम के नाम पर 56 लाख की धोखाधड़ी

इंदौर,(नप्र)। इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम के नाम पर 56 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच ने 8 फरियादियों की शिकायत पर दो लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इसमें एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच से कई ओर भी लोगों ने संपर्क किया है। इससे संभावना है कि फरियादियों की संख्या बढ़ सकती है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि पिछले दिनों 8 लोगों ने उनके साथ इंश्योरेंस और प्रीमियम के नाम पर धोखाधड़ी होने की शिकायत की थी। इस मामले की जांच की तो मामला सही मिला। इस पर क्राइम ब्रांच ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इसमें एक आरोपी ममता तंवर है। जो पहले कोटक महिंद्रा में काम करती थी। इसके बाद उसने लोगों को विश्वास में लेकर झांसा देना शुरू किया। उसके टारगेट पर अधिकतर रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी होते थे। अब तक 8 लोग इस मामले में शिकायत कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने ज्यादा रिटर्न और बोनस का लालच देकर पॉलिसी में निवेश करवाया, लेकिन बाद में रकम हड़प ली।

कई लोग नहीं आए सामने, महिला गिरफ्तार- एडिशनल डीसीपी का कहना है कि इस मामले में कई अधिकारी-कर्मचारी सामने नहीं आए है, लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। हालांकि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इधर, महिला की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद कई लोग सामने आ सकते है।

ड्रोन की नजर में आए संदिग्ध

खंडहर के पीछे बैठे मिले, पुलिस देखते ही भागने लगे, एक गांजा पीते रंगेहाथ मिला

इंदौर,(नप्र)। असामाजिक तत्वों और संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए चंदन नगर पुलिस ड्रोन कैमरे के माध्यम से विशेष चैकिंग कर रही है। इसी कड़ी में चंदन नगर पुलिस ने शनिवार को ड्रोन कैमरे से सिरपुर तालाब इलाके में विशेष सर्चिंग की। इस सर्चिंग में पुलिस को खंडहर के पीछे तीन संदिग्ध लोग मिले। इसमें से एक चिलम से गांजा पीते दिखाई दिया। जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

पुलिस हॉटस्पॉट, शैडों एरिया, शराब दुकानों के आसपास, गार्डन, खाली मैदान व सुनसान इलाकों में विशेष चैकिंग और निगरानी कर रही है। निगरानी के दौरान सिरपुर तालाब दरगाह के सामने ग्रीन पार्क मैदान में एक खंडहर के पीछे तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। ड्रोन की मदद से फुटेज लिए और पुलिस बल ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। इसमें से एक व्यक्ति चिलम में गांजा भरकर गांजा पीते मिला। इस पर आरोपी शुभम शालवी (31) निवासी आदर्श कॉलोनी इंद्रानगर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस उससे पूछताछ कर जानकारी निकाली रही है कि वह गांजा कहां से लेकर आया।

बस की चपेट में आने से कंडेक्टर की मौत

इंदौर,(नप्र)। सिमरोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार राव बस के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकर ा दर्ज कर शव पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है, जहां आज पोस्ट मार्टम किया जाएगा। युवक उसी बस के पहिए के नीचे आया, जिस पर वह कंडेक्टर था। सिमरोल पुलिस के मुताबिक मृतक अभय (19) पिता दिनेश कैथवास खैगांव का रहने वाला था। वह इंदौर-सनावद के बीच चलने वाली बस में कंडक्टरी करता था। अभय गेट पर खड़ा था, तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए जिससे अभय का संतुलन बिगड़ गया, वह बस के नीचे गिर गया और तभी बस आगे बढ़ गई। जिससे पहिया उसके ऊपर चढ़ गया और मौके पर ही मौत हो गई। अभय परिवार का बड़ा बेटा था। उसके पिता दिनेश कैथवास ने बताया कि दो बेटे हैं। इनमें अभय बड़ा है।

अग्रवाल बंधुओं ने मनाया भव्य अन्नकूट

इंदौर (नप्र)। अन्नपू ा क्षेत्र अग्रवाल महासंघ द्वारा केट रोड स्थित श्रीदा लॉन एंड रिसोर्ट पर अन्नकूट एवं 56 भोग का भव्य आयोजन अत्यंत उत्साहपू ा माहौल में संपन्न हुआ। यह उत्सव भगवान श्रीनाथजी के मनोहारी श्रृंगार और विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियों के बीच मनाया गया। महासंघ के संरक्षक किशोर गोयल, अध्यक्ष संजय गोयनका, पूर्व अध्यक्ष शिव गर्ग और सुरेश गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर इस्कॉन मंदिर इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामन दास का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में हरे रामा हरे कृष्ण ा रॉक बैंड ने मनोहारी भजनों की प्रस्तुतियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मरीज के लिए नहीं,बारात के लिए खुला बड़े अस्पताल का गेट

अस्पताल अधीक्षक की बेटी के लिए नियमों को रखा तक में

इंदौर,(नप्र)। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी एमवाय अस्पताल किले में तब्दील हो चुका है । यहां केवल मुख्य द्वार से ही मरीजों का आना-जाना चालू है बाकी चार गेट पर तालाबंदी कर दी गई है, जिसके कारण यहां मरीजों को आने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है नियम केवल गरीब मरीज और उनके परिजनों के लिए ही बनाए गए हैं। बताया गया की अस्पताल अधीक्षक डॉ अशोक यादव की बेटी की बारात शनिवार दोपहर को कचंनबाग की ओर से आने वाले पिछले गेट पर पहुंची जहां पहले से ही उनकी सेवा में गार्ड बैठा हुआ था । नाचते-गाते बारात जैसे ही बंद गेट पर पहुंची तो लगा की बारात यहां से उलटे पैर लौट जाएंगी, लेकिन मामला अधीक्षक की बेटी की बारात का था तो तुरंत गार्ड ने ताला के खोला और बारात को प्रवेश दिया । बारात में कुछ विदेशी भी नजर आर रहे थे जो भारतीय फिल्मी संगीत पर थिरक रहे थे। यह वही गेट है जिसके माध्यम से मरीज चाचा नेहरू अस्पताल और एमवाय अस्पताल में उपचार करने पहुंचते हैं ।

जयस आन्दोलन के बाद नहीं मिली राहत

अस्पताल में चूहाकांड के बाद जयस ने डीन और अधीक्षक पर केस करने और नवजात की मौत पर परिजनों को एक करोड़ के मुआवज के लिए प्रदर्शन किया था। उस के बाद से ही अस्पताल को किले के रुप में तब्दील कर दिया गया,जिसके कारण मरीज और उनके परिजनों के साथ साथ इस परिसर में रहने वालों को भी भारी परेशनियां उठानी पड़ रही है।

गोडाउन में आग, दो महिला जिंदा जली

केट रोड पर हुआ हादसा, दूर से नजर आ रहा था धुआं

इंदौर,(नप्र)। राऊ के नजदीक आरआर कैट रोड पर एक गोडाउन में शनिवार देर शाम आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की चार से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास शुरू किया। गोडाउन केमिकल का बताया जा रहा है। मौके पर चार से ज्यादा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी तब जाकर आग पर काबू पाया गया। गोडाउन में लगी आग में पुलिस अधिकारियों ने 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि की हैं । लेकिन रहवासियों की माने तो इसमें अन्य लोगों के फंसे होने की बात सामने आई हैं। मृतिका की पहचान ज्योति और रामकली के रूप में हुई है। लगातार एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एक अन्य व्यक्ति और अंदर दबे होने की बात सामने आई हैं।

पांच राज्यों के प्रतिनिधियों ने देखी इंदौर की स्मार्ट मीटरिंग

इंदौर,(नप्र)। देश के विभिन्न राज्यों, ऊर्जा क्षेत्र की संख्याओं के बिजली अधिकारियों की भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में ट्रेनिंग के सत्र आयोजित हो रहे है। इसी क्रम में भारतीय प्रबंध संस्थान से पांच राज्यों बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान आदि के बिजली अधिकारी मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के पोलोग्राउंड मुख्यालय स्थित स्मार्ट मीटर मास्टर कंट्रोल सेंटर पहुंचे। इन्होंने देश में सबसे पहले बड़े स्तर पर लागू स्मार्ट मीटर परियोजना के क्रि?ाकलाप को समझा। दल में सर्वश्री एसपी चौहान, पीसी पटेल, एनआर जांगिड़, एमजेड अंसारी, रजनीश कुमार, राजीव कुमार आईआर मीणा, पीएस चौधरी, आरएन विश्नोई, सुश्री माया थांपन, स्मिता मैथ्यू आदि शामिल थे। दल को मप्रपक्षेविविकं की स्मार्ट मीटर परियोजना के निदेशक संजय जैन, अधीक्षण यंत्री श्रीमती कीर्ति सिंह, कंट्रोल सेंटर प्रभारी श्री नवीन गुप्ता ने जानकारी दी। पांचों राज्यों के दल में शामिल अधिकारियों के स्मार्ट मीटर संबंधी प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर देकर जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। ज्ञातव्य हैं कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को भारत सरकार, मप्र सरकार के निर्देश पर स्मार्ट मीटर संबंधी बारीकियों की विस्तार से जानकारी देने के लिए सत्रों के आयोजन सतत होते हैं।

इंदौर के संस्थापक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई के बलिदान दिवस पर कल

इंदौर। इंदौर के प्रथम शासक राव राजा रावनंदलाल मंडलोई की 294वीं पु यतिथि सोमवार 3 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान सुबह 9.30 बजे राव राजा राव नंदलाल मंडलोई की दौलतगंज एवं चंपाबाग स्थित छत्रियों पर सामूहिक पूजा-अर्चना की जाएगी और शहीदों के परिजनों के सहायतार्थ वेलफेयर फंड में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बड़ा रावला स्थित उनकी गादी का पूजन भी किया जाएगा। वर्तमान में राव राजा की इस गादी पर राव राजा श्रीकांत मंडलोई प्रतिष्ठित हैं। इंदौर के इस दूरदर्शी संस्थापक शासक की स्मृति में 3 नवंबर को वेलफेयर फंड में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जूनी इंदौर, बड़ा रावला स्थित एतिहासिक महल पर विशेष सजावट भी की जाएगी और उनके चित्र पर माल्यार्प । कर उनका पु य स्मर । किया जाएगा। शहीदों को नमन करते हुए राव राजा राव श्रीकांत मंडलोई जमींदार, रानी साहिबा माधवी मंडलोई जमींदार एवं युवराज वरदराज मंडलोई तथा अन्य सभी परिजन छत्रियों का पूजन करेंगे।

अपार उल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य आतिथ्य में हुआ मुख्य समारोह

इंदौर (नप्र)। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का उत्सव आज इंदौर में अपार उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे शहर में विभिन्न सांस्कृतिक, विकासात्मक और जनभागीदारी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य आतिथ्य में मुख्य समारोह लता मंगेशकर सभागृह राजेन्द्र नगर में आयोजित किया गया। उनके साथ संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, विधायक श्री रमेश मेंदोला और श्री मधु वर्मा, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, जिला पंचायत सीईओ श्री सिद्धार्थ जैन, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, डीसीपी श्री कृष्ण मूलचंदानी, स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री अर्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

प्रदेश की विकास और प्रगति पर है गर्व- मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश आज विकास, सुशासन और नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में देशभर में मिसाल कायम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और मध्यप्रदेश की विकास यात्रा का विस्तार से उल्लेख किया। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का चहुँमुखी विकास हो रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कें अब गांवो तक पहुंच गई है। सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

फॉर्म संख्या यूआरसी - 2
विज्ञापन अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के सम्बन्ध में सूचना
[कंपनी अधिनियम, 2013 कि धारा 374 (बी) और कंपनी के नियम 4 (1) के अनुसार (रजिस्टर करने के लिए अधिकृत) नियम, 2014]

1. सभी को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष यह आवेदन किया गया है कि 'सिद्धिविनायकपॉलीप्लास्ट' एक साझेदारी फर्म हैजिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग ढ्ढ के तहत शेयर द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है; प्लास्टिक, पॉलिमर एवं सिंथेटिक सामग्री के सभी प्रकारों के निर्माण, प्रोसेसिंग, कंपाउंडिंग, वितरण, विक्रय एवं क्रय का व्यवसाय करना होगा, जिसमें प्लास्टिक घटकों, मोल्डेड उत्पादों, शीट्स, फिल्मों तथा पैकेजिंग सामग्री जैसे कि पीपी वोवन सैक्स (PP Woven Sacks), बीओपीपी वोवन सैक्स (BOPP Woven Sacks), पीपी फैब्रिक (PP Fabric), बीओपीपी बैग्स (BOPP Bags), एचडीपीई बैग्स एवं रोल्स (HDPE Bags and Rolls), तथा एफआईबीसी बैग्स (FIBC Bags) सहित अन्य फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी प्लास्टिक एवं पॉलिमर से संबंधित कच्चे माल एवं तैयार माल का आयात, निर्यात, क्रय, विक्रय एवं वितरण भी करेगी, जो ऑटोमोबाइल, निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, और पैकेजिंग जैसे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूरा करेगा। कंपनी प्लास्टिक एवं पॉलिमर तकनीक में नवाचार हेतु अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं स्थापित एवं संचालित करेगी और तकनीकी परामर्श तथा अनुरक्षण सेवाएं भी प्रदान करेगी

3. प्रस्तावित कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन की एक प्रति **खसरा नंबर 89/2 मि.-2, 90/1 एवं 89/1 मि.-3, ग्राम - कपालियाखेड़ी, नेमावर रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) - 452016** स्थित कार्यालय में निरीक्षण किये जा सकते है।

4. इस प्रकार सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टिट्यूट आप कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लाट न. 6,7,8 सेक्टर 5 आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव, हरियाणा-122050 की इक्कीस दिनों (21) के भीतर सूचित कर सकते है एवं एक प्रतिलिपि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते है।

हस्ते-
मे. सिद्धि विनायक पॉलीप्लास्ट
अविनाश गुप्ता
(अधिकृत भागीदार/प्रस्तावित निदेशक)
दिनांक 02 नवंबर 2025

निशाणी- ११ पब्लीक नोटीस
अदालत प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जलगांव, महाराष्ट्र
पिटीशन ए-१६६/२०२४
श्री पुष्पक प्रमोद रोडे आयु २४
अर्जदार / वादी
निवासी रोहनवाडी कानलदा रोड
जलगाव जि. जलगाव
विरूद्ध
सामनेवाली / प्रतिवादी
राणी उर्फ जयश्री पुष्पक रोडे आयु २२
निवासी द्वारा रविंद्र प्रल्हाद सुरलकर
पंचशिल नगर एअरपोर्ट रोड एरोड्रोमी
पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर मध्य प्रदेश
उपर लिखीत मुकदमे में आवेदक वादी ने इस कुटुम्ब न्यायालय, जलगांव को दरख्वास्त कर हिंदू विवाह कायदा धारा १३, १ पंद्र के तहत आवेदन दाखील किया है।
तदनुसार, आपको निर्देश दिया जाता है कि यदि आप उक्त आवेदन के खिलाफ अपनी दलीले दाखिल करने के लिए तारीख ०३/१२/२०२५ को सुबह ११.०० बजे प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जलगांव, महाराष्ट्र में व्यक्तिगत रुप से या विधिवत नियुक्त वकील के माध्यम से उपस्थित होने में विफल रहते है, तो उक्त आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई की जाएगी!
आपको यह भी सूचना दी जा रही है कि आप बताई गई तिथि पर या इससे पहले सेवा के लिए पता प्रदान करने में विफल रहते है . तो आपके बचाव पर विचार नहीं किया जाएगा ! आज तारीख ०१/११/२०२५ को मेरे हस्ताक्षर और अदालत की मुहरदीगई!
आदेश से.
सही/- प्र प्रबंधक
कुटुंब न्यायालय, जलगांव

जाहिर सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा - डायवर्सन रोड़, जिला खरगोन द्वारा संपत्ति स्वामी 1. अजय आडतिया पिता स्व. श्री दिलीप आडतिया, 2. शकुबाई आडतिया पति स्व. श्री दिलीप आडतिया, 3. राजेन्द्र कुमार आडतिया पिता स्व. श्री दिलीप आडतिया, 4. अर्चना आडतिया पिता स्व. श्री दिलीप आडतिया, 5. रंजना आडतिया पिता स्व. श्री दिलीप आडतिया, 6. संगीता आडतिया पिता स्व. श्री दिलीप आडतिया, 7. गायत्री चौहान पिता स्व. श्री दिलीप आडतिया निवासी - इंदिरा नगर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन के हक मालकी एवं स्वामित्व का आवासीय मकान जो नगर खरगोन ग्राम सांगवी, प.ह.नं. 47, तहसील व ब्लॉक खरगोन, नगर पालिका सीमा क्षेत्र वार्ड नंबर (31,30) श्री साई बाबा कॉलोनी में स्थित, होकर नगर पालिका रेकार्ड संपत्ति कर मॉगपंजी के अनुक्रमांक 1414 में दर्ज आवासीय भूखण्ड क्रमांक 19 पर निर्मित आवासीय मकान जो मौके पर पूर्व - पश्चिम 50 फीट, उत्तर - दक्षिण 30 फीट, इस प्रकार कुल 1500 वर्गफीट (139.40 वर्गमीटर) का होकर सदर संपत्ति जिसकी चतुसीमा पूर्व में - प्लॉट क्रमांक 14/1, पश्चिम में - कॉलोनी की सड़क, उत्तर में - प्लॉट क्रमांक 18, दक्षिण में - प्लॉट क्रमांक 20 स्थित है, उक्त वर्णित सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान किया जा रहा है यदि उक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में किसी भी संस्था, बैंक, वित्तीय निकाय या किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति/विवाद उजर हो या किसी भी प्रकार का उक्त संपत्ति पर कोई बकाया भार, बंधक, या डिक्री के चार्ज हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस के अन्दर मय दस्तावेज के लिखित रूप से हमारे पते पर या हमारी पक्षकार बैंक मध्य प्रदेश ग्रामीण शाखा, डायवर्शन रोड़, खरगोन में प्रस्तुत करे अन्यथा समयावधि पश्चात उपरोक्त वर्णित सदर संपत्ति को बंधक कर लिया जावेगा तत्पश्चात कोई भी आपत्ति हमारे पक्षकार पर बंधनकारक नही मानी जावेगी।
पंकज कुमार जोशी, एडहोकेट
32, न्यू नूतन नगर, खरगोन
मो. 7999013167, 9827446409

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **कु. कीर्ति खाम्बोरकर पिता श्री सुधाकर मोरेश्वर खाम्बोरकर** था। जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर **श्रीमती मिहिका पाराशर पति श्री विकास पाराशर** हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम **श्रीमती मिहिका पाराशर** से ही जाना-पहचाना जावे।
श्रीमती मिहिका पाराशर
बीएच-188, ट्रायकॉन सिटी, खंडवा रोड, इंदौर, पोस्ट-दतोदा (म.प्र.)

सूचना
ऑटम विंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के संबंध में सूचना
मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अन्तर्गत बनाये गये ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के अधीन हमारे द्वारा ग्राम हातोद तहसील हातोद व जिला इन्दौर सर्वे क्रमांक 619/1, 619/2, 628, 629/1, 629/2, 630, 631/1 630/2 इस प्रकार का कुल सर्वे कुल रकबा 6.165 भूमि पर **ऑटम विंड** में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों की विक्रय आवंटन नियम में निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाना है। इस हेतु उपरोक्त आरक्षित भूखण्डों के आवंटन/विक्रय हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन निम्न शर्तों के आधीन आमंत्रित किया जाना है
पात्रता की शर्ते
1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र)
2. आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के आरक्षित भूखण्डों की पात्रता हेतु कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग का होना आवश्यक है। (सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी / स्वप्रमाणित वार्षिक आय प्रमाण पत्र)
3. भूखण्डों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप आवेदन प्रपत्र एवं शर्ते रुपए 100/- जमा करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस में समय 10:30 से 5 बजे तक कॉलोनी, कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।
4. कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नियम, 1999 के अतर्गत सक्षम प्राधिकारी अथवा संस्थान को होगा इनका कोई कारण नहीं दशार्या जायेगा।
5. उक्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के आरक्षित भूखण्डों की लागत प्रावधनित नियमों के अनुसार होगी।
7. आरक्षित भूखण्डों का आवंटन कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग की लॉटरी के आधार पर किया आवेगा। पहले आवे पहले पावे आधार पर।
8. आवेदक के स्वयं / परिवार के पास म.प्र. में कोई भूखण्ड / भवन नहीं है इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
श्री/श्रीमती/मेसर्स
स्पेसलैण्ड इंफ्रा इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 30 एस डी आर्केड बजाज पाटनी के सामने, वर्धा रोड बुटीबोरी नागपूर महाराष्ट्र (पंजीकरण क्रमाक 70100 MH 2011 PTC 215548) शाखा कार्यालय 401 स्टेलिंग आर्कड, 15/3 रेसकोर्स रोड, IDA बिल्डिंग के सामने, इन्दौर म.प्र. **ऑटम विंड** कालोनी हातोद पालिया रोड़
स्पेसलैण्ड इंफ्रा इंटरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड

पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

चिलम पीते हुए पांच युवक गिरफ्तार, 10 हजार का गांजा जब्त

इंदौर,(नप्र)। इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गांजा पीते हुए पांच युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से अधजला गांजा, चिलम और नशे का सामान जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से विस्तार से पूछताछ कर रही है।

मल्हारगंज पुलिस के अनुसार जिंसी हाट मेन रोड से अभिनव उर्फ अब्बू (23) पिता लोकेश राठौर निवासी पीलियाखाल बड़ा गणपति को गांजा पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से अधजली चिलम और कपड़ा जब्त किया।

इसी तरह एरोड्रम पुलिस ने परमहंस नगर 60 फीट रोड से आनंद माहेश्वरी निवासी छोटा बांगड़दा रोड को पकड़ा। उसके पास से भी अधजला गांजा भरी चिलम मिली। वहीं तरुणसिंह जायसवाल निवासी अशोक नगर को गांजा पीते हुए गिरफ्तार किया गया।

10 हजार का गांजा जब्त- राजेंद्र नगर पुलिस ने राहुल उर्फ टुंडा भार्गव निवासी राजरानी नगर को चोइथराम मंडी पार्किंग के पास से पकड़ा। उसके पास से प्लास्टिक की पन्नी में भरा 0.392 ग्राम गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 10 हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं एमआईजी थाना पुलिस ने भी अटल द्वार के पास से मनीष वर्षा निवासी पाटनीपुरा को गांजा पीते हुए पकड़ा।

नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान- शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SHREE PACETRONIX LIMITED
CIN: L33112MP1988PLC004317
R.O.: Plot No.15, Sector II, Ind. Area, Pithampur, Dist. Dhar-454775 (M.P.)
Tel No. 07292-411105, Fax no. 07292-400418
E-mail:pacetronix@hotmail.com website: www.pacetronix.com
STANDALONE/CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025
(Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter Ended			Half Year Ended		Year ended	Quarter Ended			Half Year Ended		Year ended
	30.09.25	30.06.25	30.09.24	30.09.25	30.09.24	31.03.25	30.09.25	30.06.25	30.09.24	30.09.25	30.09.24	31.03.25
	(Unaudited)					(Audited)	(Unaudited)					(Audited)
Total Income from operation (Net)	662.04	536.49	406.32	1198.53	896.94	1691.92	662.2	536.65	406.46	1198.85	897.22	1692.47
Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	175.82	89.55	5.10	265.37	55.53	104.05	175.26	89.02	5.38	264.28	55.83	104.31
Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	175.82	89.55	5.10	265.37	55.53	104.05	175.26	89.02	5.38	264.28	55.83	104.31
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	131.58	67.00	2.95	198.58	40.19	75.30	131.02	66.47	3.37	197.49	40.62	74.99
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	131.58	67.00	2.95	198.58	40.19	75.30	131.02	66.47	3.37	197.49	40.62	74.99
Equity Share Capital	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94	359.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	–	–	–	1229.45	–	1030.87	–	–	–	–	–	1018.22
(Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) a)Basic (in Rs.)	3.66	1.86	0.08	5.52	1.12	2.09	3.64	1.85	0.09	5.49	1.13	2.08
(b)Diluted (in Rs.)	3.66	1.86	0.08	5.52	1.12	2.09	3.64	1.85	0.09	5.49	1.13	2.08

Notes:
1.The above is an extract of the detailed Statement of Standalone/Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Statement of Standalone/Consolidated Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and on company website (www.pacetronix.com) can be accessed from the QR Given Below.
2. The above result of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

QR Code
SHREE PACETRONIX LIMITED
Sd/- Akash Sethi
Joint Managing Director
(DIN: 08176396)
Date: 01st November, 2025
Place : Pithampur